



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी,

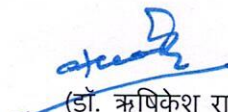
कोलकाता-700001

दिनांक : 27.11.2024

कार्यालय जापन सं. 109/2024

बोर्ड कार्यालय, मुंबई से संबद्ध श्री प्रणीत थापा, विकास अधिकारी द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने बोर्ड के अतिथि गृह, मुंबई के संबंध में बाथरूम सह भोजनालय संलग्न एक रसोईघर के आवंटन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है, जिसे पहले बोर्ड कार्यालय, मुंबई के पूर्व प्रभारियों के पक्ष में श्री थापा, विकास अधिकारी के पक्ष में दिनांक 01.12.2024 से निम्नलिखित शर्तों के साथ आवंटित किया गया था।

1.	वह अपने स्वीकार्य एचआरए का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा;
2.	उन्हें ऐसे आवास के लिए प्रति माह 210 रुपये की दर से अनुजापन शुल्क का भुगतान करना होगा;
3.	उन्हें टी बोर्ड द्वारा लगाए जाने वाले उप-मीटर की वास्तविक मीटर रीडिंग के अनुसार प्रति माह बिजली शुल्क का भुगतान करना होगा;
4.	उसे अपने उपयोग हेतु गैस सिलेंडर का खर्च वहन करना पड़ेगा;
5.	उन्हें उक्त हिस्से में पहले से स्थापित केबल कनेक्शन युक्त रंगीन टीवी, रेफ्रिजरेटर आदि को सभी आवंटियों के सामान्य उपयोग हेतु उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करना होगा;
6.	वह समय-समय पर जारी किए जाने वाले महाराष्ट्र सरकार के नियमों एवं विनियमों का पालन करेंगे और बोर्ड के अतिथि गृह, मुंबई में अपने प्रवास के दौरान उचित अनुशासन भी बनाए रखेंगे;
7.	उसे उक्त भाग का उपयोग पूर्णतः अपने आवासीय उद्देश्य के लिए करना चाहिए;
8.	यदि टी बोर्ड के कार्य की अनिवार्यता तथा प्रशासनिक कारणों से बोर्ड द्वारा अपेक्षित हो तो वह उक्त भाग को तत्काल खाली कर देगा।


(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्रभारी)

वितरण :-

1.	श्री प्रणीत थापा, विकास अधिकारी टी बोर्ड, मुंबई	उपरोक्त धारा 51 के सं. 3 से 7 तक में उल्लिखित शर्तों का आवश्यक अनुपालन करने हेतु।
2.	वि.स. एवं मु.ले.अ.	
3.	उ.नि.चा.वि. (न.द. एवं ज.वि.)	
4.	ले.अ. (प्रभारी) (अ.ज.गो एवं तृ. मु.)	श्री प्रणीत थापा, वि.अ. मुंबई के वेतन से दिनांक 01.12.2024 से अगले आदेश तक नियमित आधार पर आवश्यक राशि वसूलने के अनुरोध सहित।
5.	उपाध्यक्ष वि.स. एवं मु.ले.अ. एवं सचिव के निजी सहायक	
6.	आई टी कक्ष	बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
7.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियां सहित।

संदर्भ फाइल सं. 28(4)/स्थाप/80/भाग II